भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-152**

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

**आंध्र प्रदेश में शिक्षा के लिए निधि आवंटन**

**†152. डॉ. बायरेड्डी शबरी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत, उपयोग में लाई गई और व्यपगत की गई निधियों के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019- 2024 तक शिक्षा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय निधियों के उपयोग में कोई चूक हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश विशेषकर नांदयाल में सरकारी विद्यालयों के लिए पीएम श्री के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या नांदयाल में केन्द्रीय विद्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) और (ख): केंद्र सरकार वर्ष 2018-19 से केंद्र प्रायोजित योजना समग्र शिक्षा कार्यान्वित कर रही है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र हेतु प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना है। केन्द्र और आन्ध्र प्रदेश राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न का अनुपात 60:40 है। विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र शिक्षा, पीएम श्री, पीएम पोषण,

उल्लास और रूसा जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को आबंटित और उपयोग किए गए केन्द्रीय भाग का विवरण निम्नलिखित है।

**1. समग्र शिक्षा**

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन का केंद्रीय हिस्सा | उपयोग (राज्य के हिस्से सहित) | समायोजित अप्रयुक्त शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 1294.74 | 1393.06 | 554.75 |
| 2 | 2020-21 | 1348.53 | 1084.90 | 653.31 |
| 3 | 2021-22 | 1348.53 | 1476.31 | 816.73 |
| 4 | 2022-23 | 1712.58 | 1951.92 | 635.11 |
| 5 | 2023-24 | 1775.80 | 2685.24 | - |

**2. पढ़ना लिखना अभियान (2020-21 एवं 2021-22 हेतु)/उल्लास (2022-23 एवं 2023-24 हेतु)**

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन का केंद्रीय भाग | उपयोग (राज्य के भाग सहित) | समायोजित अप्रयुक्त शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2 | 2020-21 | 4.45 | 1.69 | 3.43 सीएफआई में जमा |
| 3 | 2021-22 | शून्य | शून्य | शून्य |
| 4 | 2022-23 | 5.13 | शून्य | 3.85 |
| 5 | 2023-24 | 4.30 | 0.04 | 3.82<br>वर्ष 2024-25 के लिए योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के पास उपलब्ध है। |

**3. पीएम पोषण**

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन का केंद्रीय भाग | उपयोग (राज्य के भाग सहित) | समायोजित अप्रयुक्त शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-20 | 33975.00 | 268.61 | 13.96 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2020-21 | 35823.89 | 373.20 | 1.89 |
| 3 | 2021-22 | 40602.29 | 354.60 | 5.62 |
| 4 | 2022-23 | 35828.78 | 338.72 | 32.22 |
| 5 | 2023-24 | 33137.14 | 299.01 | 0 |

**4. पीएम श्री**

(करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | वर्ष | आबंटन का केंद्रीय भाग | उपयोग (राज्य के भाग सहित) | समायोजित अप्रयुक्त शेष राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023-24 | 292.91 | 86.75 | 90.67 |
| 2. | 2024-25 (*अभी तक*) | 420.98 | 0.00 | - |

**5. रूसा-** विगत पांच वर्षों में अर्थात वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक आंध्र प्रदेश राज्य को रूसा/पीएम-उषा के अंतर्गत जारी केंद्रीय निधियों की कुल राशि 88.72 करोड़ रुपये है।

(ग): वित्त वर्ष 2023-24 में, पीएम श्री के अंतर्गत राज्य को केंद्रीय भाग के रूप में 106.46 करोड़ रुपये जारी किए गए और राज्य ने नांदयाल जिले में जिला विशिष्ट घटकों हेतु 15.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। इसमें से नांदयाल जिले ने 5.62 करोड़ रुपये व्यय किए।

(घ) से (च): नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि)खोलना एक सतत प्रक्रिया है। के.वि. मुख्य रूप से पूरे देश में शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केन्द्रीय उच्चतर शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश सहित देश भर में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए विभिन्न प्रायोजक प्राधिकरणों/जन प्रतिनिधियों से लगातार प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केवल प्रस्ताव प्राप्त करना ही कोई पूर्वापेक्षा नहीं है। नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रायोजक प्राधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर जांच/कार्रवाई की जाती है और ये सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होते हैं।

****